न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

निर्णय दिनांकः 29.03.2023

पीठासीन अधिकारीः श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः 94/2022

1. युसुफ
2. बलीद
3. अयन

पिसरान मामूरा जाति मेव निवासी रसूलपुर तहसील नगर हाल तहसील सीकरी (भरतपुर) राज0

---वादीगण

बनाम

1. समसूदीन पुत्र बोधसिंह जाति मेव निवासी ग्राम रसूलपुर तहसील नगर हाल तहसील सीकरी भरतपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब नगर हाल तहसीलदार तहसील सीकरी।

---प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री ओमहरि अधिवक्ता वादी।

निर्णय

यह वादपत्र वादीगण ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 297/1.10 है बाके ग्राम रसूलपुर तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 297/1.10 है बाके ग्राम रसूलपुर तहसील सीकरी का 1/6 हिस्सा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से उसका 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 19.08.1992 को खरीद किया था व बरोज खरीद को ही प्रतिवादी संख्या 01 ने इस आराजी का कब्जा मौके पर हम वादीगण को दे दिया था, तब से लेकर आज तक उपरोक्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा शान्तिपूर्वक चला आ रहा है व मौके पर पिछली फसल भी वादीगण द्वारा बोई व काटी गई थी। राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 01 को हाल राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 सेटिलमेन्ट से पूर्व आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज था परन्तु दौराने सेटिलमेन्ट प्रतिवादी संख्या 01 को बिना किसी कानूनी अधिकार के सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने गैरखातेदार दर्ज कर दिया है जबकि सेटिलमेन्ट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा के कोई भी साबिक रिकार्ड को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण रकवा मुत0 पर अपने आपको मुताबिक वयनामा व हिस्सा बराबर का खातेदार, काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। वादीगण को दिनांक 18.04.2016 को पटवारी पटवार हल्का ने ऐलानिया धमकी कि उक्त आराजी खसरा नंबर आज भी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड

में दर्ज है। अतः उक्त आराजी पर हम आपको काश्त नहीं करने देगें, वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज का पता आराजी की जमाबन्दी की नकल लेने पर पता चला। अगर प्रतिवादी अपनी उक्त धमकी में कामयाब रहा तो वादीगण को सख्त हकतलफी होगी, नुकसान अजीम होगा जिसकी पूर्ति जर्रे नकद या किसी अन्य तरह से नहीं हो सकेगी। विदि वजह वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 297/1.10 बाके ग्राम रसूलपुर के 1/6 हिस्सा पर वादीगण को मुताबिक वयनामा तारीखी 19.08.1992 के बहिस्सा बराबर का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हो रहे कब्जे व मौके के विपरीत हाल इन्द्राज को कलमजन किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.02.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वयनामा तारीखी 19.08.1992, एवं सहायक कलक्टर नदबई कैम्प नगर का निर्णय दिनांक 17.03.1994, हाल जमाबंदी संवत 2072–75, वादीगण संख्या 03 अय्यन पुत्र मामूरा का शपथ पत्र PW1, गवाह फजरू पुत्र जौम खां जाति मेव निवासी रसूलपुर का शपथ पत्र PW2, गवाह हसनू पुत्र परती जाति मेव निवासी रसूलपुर का शपथ पत्र PW3, प्रस्तुत किये।

पत्रावली की बाबत वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त पाया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 297/1.10 बाके ग्राम रसूलपुर तहसील सीकरी को 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 वक्त वयनामा दिनांक 19.08.1992 से अदिनांक तक गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चूंकि किसी भी गैर खातेदारी की आराजी का हस्तान्तरण बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये सम्भव नहीं है। अतः दावा वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर)